पत्र सं०–3/एफ०–01–54/2024–...../वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रविन्द्र नाथ गुप्ता,
अपर सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–.....

विषय :– सेवा विनियमन के प्रस्ताव पर वित्त विभागीय सहमति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0–10128, दिनांक–26.12.2003 के अनुसार सरकारी सेवक द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि के क्रम में आगे या पीछे अथवा बीच की अवधि में छुट्टी पर रहने की स्थिति में कुल प्रभार रहित अवधि (छुट्टी पर जाने की अवधि सहित) 180 दिन या उससे कम रहने पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से तथा 180 दिन से अधिक रहने पर वित्त विभाग की सहमति से एक साथ विनियमित करने का प्रावधान है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में सेवा विनियमन से संबंधित प्रस्ताव पर वित्त विभागीय सहमति हेतु प्राप्त संचिकाओं के समीक्षोपरांत कतिपय मामलों में निम्नांकित त्रुटि/त्रुटियाँ पाई जाती है :–

(i) वित्त विभागीय परिपत्र सं0–7474, दिनांक–14.08.2014 के अनुलग्नक में सेवा विनियमन से संबंधित जाँच पत्र की सभी प्रविष्टियों को सुस्पष्ट भरकर संचिका में संधारित नहीं किया जाना।

(ii) प्रभार रहित अवधि के शुरू से अंत तक सरकारी कर्मी के पदस्थापन हेतु विभाग में की गई कार्रवाई की तिथिवार तालिका संचिका में संधारित नहीं रहना।

(iii) जाँच पत्र एवं तिथिवार तालिका में सक्षम प्राधिकार (उप सचिव से अन्यून स्तर) का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं रहना।

(iv) जाँच पत्र में प्रभार रहित अवधि के विनियमन हेतु प्राप्त प्रस्ताव (अनिवार्य प्रतीक्षा/पदग्रहण काल विस्तार/देय छुट्टी/कोई अन्य तरीका) तिथिवार अंकित नहीं रहना। साथ ही कोई अन्य तरीका की स्थिति स्पष्ट नहीं रहना।

(v) जाँच पत्र में प्रभार रहित अवधि शुरू होने से तुरन्त पहले संबंधित सरकारी सेवक की स्थिति (कर्तव्य छुट्टी/निलंबित/कोई अन्य स्थिति में थे) स्पष्ट अंकित नहीं रहना।

(vi) देय अवकाश को किस अवकाश के रूप में विनियमित किया जाना है, के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं किया जाना। साथ ही कर्मी के आदेय अवकाश से संबंधित प्रतिवेदन संचिका में संधारित नहीं रहना।

(vii) पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में दर्ज की गई उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य पर सक्षम प्राधिकार (प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर) का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं रहना।

(viii) पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के साथ अध्ययन हेतु स्वीकृत अवकाश के विनियमन प्रस्ताव पर वित्त विभागीय पत्रांक–2731, दिनांक–11.03.2025 में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना।

(ix) संचिका में विनियमन से संबंधित कागजातों/साक्ष्यों की मूल अथवा अभिप्रमाणित छायाप्रति संधारित नहीं रहना।

(x) विनियमन प्रस्ताव के अनुरूप स्पष्ट अभिलेख/साक्ष्य संचिका में संधारित नहीं रहना (साक्ष्य के अनुरूप विनियमन स्वरूप गठित करने के पश्चात् ही संचिका भेजी जानी चाहिए)।

(xi) संचिका के पत्राचार भाग पर संधारित साक्ष्यों का पृष्ठांकन क्रमवार नहीं होना।

3. कंडिका–2 में अंकित त्रुटियों के कारण सेवा विनियमन के प्रस्ताव पर वित्त विभागीय सहमति देने में कठिनाई होती है तथा पृच्छोपरांत संचिका प्रशासी विभाग को वापस कर दिया जाता है, जिससे मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है।

4. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि मामले का ससमय निष्पादन हेतु प्रशासी विभाग द्वारा उपरोक्त कंडिका–2 एवं 3 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं नियमो के अन्तर्गत सभी अभिलेखों/कागजातों की भलीभाँति जाँच कर मंतव्य गठित करने के उपरांत ही विहित संशोधित जाँच पत्र एवं तिथिवार तालिका (संलग्न) पर सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए संचिका सहमति/परामर्श हेतु भेजी जाय ।

अनु0 : 1. जाँच–पत्र
2. तिथिवार तालिका

विश्वासभाजन
ह0/–
(रविन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 3/एफ–01–54/2024–...../वि०, पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रविन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 3/एफ–01–54/2024–...../वि०, पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रविन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 3/एफ–01–54/2024–6759/वि०, पटना, दिनांक–22/07/2026

प्रतिलिपि :– सिस्टम ऐनालिस्ट, वित्त विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.07.2026

(रविन्द्र नाथ गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव।

180 दिनों से अधिक बिना प्रभार के बितायी गई अवधि के विनियमन से संबंधित जाँच पत्र

1. प्रशासी विभाग का नाम :–
2. सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम :–
3. प्रभार रहित कुल अवधि– दिनांक–.....से .....तक (कुल.....दिन)
4. उक्त अवधि के विनियमन हेतु विभाग का प्रस्ताव क्या है ?

क्र0सं0	प्रस्ताव	साक्ष्य / अभिलेख का पृष्ठांकन
(क)	अनिवार्य प्रतीक्षा (दिनांक–.....से .....तक)	पृ0–.....
(ख)	पदग्रहण काल विस्तार (दिनांक–.....से .....तक)	पृ0–.....
(ग)	देय छुट्टी (छुट्टी की प्रकृति का स्पष्ट विवरण)(दिनांक–.....से .....तक)	पृ0–.....
(घ)	कोई अन्य तरीका(स्पष्ट विवरणी के साथ) (दिनांक–.....से .....तक)	पृ0–.....

5. प्रभार रहित अवधि के प्रसंग में क्या निम्नांकित साक्ष्य सुलभ कराये गये है ? यदि हाँ तो उन्हें निदेशित करें (एक से अधिक हों तो सभी को).

क्र0सं0	साक्ष्य	साक्ष्य / अभिलेख का पृष्ठांकन
(क)	प्रभार–परित्याग / विरमित प्रतिवेदन	पृ0–.....
(ख)	योगदान प्रतिवेदन	पृ0–.....
(ग)	पदस्थापन की अधिसूचना / आदेश	पृ0–.....
(घ)	प्रभार ग्रहण / योगदान प्रतिवेदन	पृ0–.....
(ड़)	विभाग में योगदान के पश्चात् प्रतीक्षारत् अवधि में सरकारी कर्मी द्वारा दर्ज उपस्थिति पंजी की अभिप्रमाणित(उप सचिव से अन्यून स्तर के हो) छायाप्रति	पृ0–.....
(च)	उपस्थिति पंजी में सरकारी कर्मी द्वारा कितने दिनों तक उपस्थिति / अनुपस्थिति दर्ज की गई है। अनुपस्थित अवधि के संबंध में की गई कार्रवाई के फलाफल को संचिका में संधारित करें।	पृ0–.....

6. प्रभार रहित अवधि शुरू होने के तुरंत पहले संबंधित सरकारी सेवक –

क्र0सं0	स्थिति	साक्ष्य / अभिलेख का पृष्ठांकन
(क)	क्या कर्तव्य पर थे	पृ0–.....
(ख)	क्या छुट्टी पर थे (दिनांक–.....से .....तक)	पृ0–.....
(ग)	क्या निलंबित थे (दिनांक–.....से .....तक)	पृ0–.....
(घ)	अन्य कोई स्थिति (स्पष्ट उल्लेख हो)	पृ0–.....

7. प्रभार रहित अवधि शुरू होने के तुरन्त पहले क्या सरकारी सेवक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे–

8. यदि उक्त (7) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो

(क) क्या सरकारी सेवक से कारण–पृच्छा माँग की गयी है?

(ख) क्या कारण पृच्छा के प्रसंग में उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किया गया है ?

(ग) उक्त (ख) पर विचारोपरांत विधिवत् विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने अथवा लघु दंड देकर या अन्य किसी तरीके से उसका निष्पादन करने का निर्णय क्या लिया जा चुका है ?

(कार्रवाई के फलाफल का साक्ष्य पृष्ठ..... पर संधारित है।)

9. (क) प्रभार रहित स्थिति उत्पन्न होने का दायित्व प्रशासनिक विभाग का है अथवा स्वयं सरकारी सेवक पर ?

(ख) उक्त (क) का उत्तर प्रशासनिक विभाग है तो क्या इसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है, यदि हाँ तो क्या कार्रवाई हुई है, यदि नहीं तो क्यों ?

(कार्रवाई के फलाफल का साक्ष्य पृष्ठ..... पर संधारित है।)

10. (क) प्रभार रहित अवधि के विनियमन का प्रस्ताव प्रभार रहित अवधि समाप्त होने के छः माह के भीतर वित्त विभाग के विचार हेतु उपलब्ध कराया गया अथवा नही ?

(ख) यदि 'क' का उत्तर नहीं है तो विलम्ब से विनियमन प्रस्ताव भेजने से संबंधित उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है, अथवा नहीं, यदि हाँ तो क्या उक्त के संबंध में क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं तो क्यों ? स्पष्ट उल्लेख करें।

(कार्रवाई के फलाफल का साक्ष्य पृष्ठ..... पर संधारित है।)

11. (क) प्रभार रहित अवधि के छः माह से अधिक हो जाने के लिए क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है ? यदि हाँ, तो इस प्रसंग में क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संदर्भ में विभागीय सचिव का आदेश जहाँ प्राप्त किया गया है निदेशित करें

(कार्रवाई के फलाफल का साक्ष्य पृष्ठ..... पर संधारित है।) –

(ख) (i) यदि (क) का उत्तर नहीं है तो प्रभार रहित अवधि के शुरू से लेकर अंत तक सरकारी सेवक के पदस्थापन हेतु विभाग में की गई कार्रवाई की तिथिवार तालिका (स्थापना के प्रभारी पदा0 जो उप सचिव से अन्यून स्तर के हो, से हस्ताक्षरित एवं मुहरित) क्या सुलभ की गयी है ?

(ii) यदि प्रभार रहित अवधि एक से अधिक विभागों के अधीन की है, तो क्या पूर्ववर्ती विभागों से भी तिथिवार तालिका प्राप्त कर संचिका में सुलभ कराई गई है ?

स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी का नाम–
पदनाम तथा हस्ताक्षर –
(उप सचिव से अन्यून स्तर के हों)

प्रभार रहित अवधि के शुरू से अंत तक सरकारी कर्मी के पदस्थापन हेतु विभाग में की गई कार्रवाई की तिथिवार तालिका

उपस्थापन का स्तर	उपस्थापन की तिथि	निष्पादन की तिथि	अभ्युक्ति

टिप्पणी :– (i) यदि संचिका 'उपस्थापन से भिन्न कोई कार्रवाई हो। (यथा स्थापना समिति की बैठक आयोजित होना, क्षेत्रीय पदाधिकारी से कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना आदि) तो प्रासंगिक तिथियों के बीच इसका समुचित उल्लेख किया जाय।

(ii) ऊपर का स्थान पर्याप्त न हो तो अतिरिक्त शीट लगायें।

स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी का नाम–
पदनाम तथा हस्ताक्षर –
(उप सचिव से अन्यून स्तर के हों)